



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2012/अग्रहायण 29, 1934

No. 650]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2012/AGRAHAYANA 29, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 911 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा (3) की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन, कांडला के श्री एम. एल. बेल्लानी तथा कांडला पोर्ट कर्मचारी संघ, कांडला के श्री मोहन के. असवानी को, 31-3-2014 तक अथवा आगे के आदेशों तक, जो भी पहले हो, कांडला पत्तन न्यास के बोर्ड में श्रम न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति सरकारी राजपत्र में उपयुक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2012-एल]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2012

G.S.R. 911(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section (3) read with sub-section (6) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri M. L. Bellani of Transport and Dock Workers Union, Kandla and Shri Mohan K. Aswani of Kandla Port Karamchari Sangh, Kandla as Labour Trustees on the Board of Kandla Port Trust up to 31-3-2014 or until further orders whichever is earlier.

2. The said appointment shall come into effect from the date of publication of the Notification in the Official Gazette.

[F.No. LB-11013/1/2012-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.